न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 53/2023

1. जगदीश पुत्र श्री लालचंद, जाति कुम्हार, निवासी डूंगरसिंपुरा, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।
2. मुरारी पुत्र श्री विजय सिंह जरिए संरक्षक जगदीश पुत्र श्री लालचंद, जाति कुम्हार, निवासी डूंगरसिंहपुरा, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. नायब तहसीलदार, सादुलशहर।

रेस्पो.

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सादुलशहर का दिनांक–04–10–2023 जिसकी रूह से चक 19 एसपीएम पत्थर नम्बर 20/203 मुरब्बा नम्बर–11 किला नम्बर–16/3 में 0.209 हैक्टेयर नहरी किला नम्बर–16/4 में 0.0190 रास्ता, किला नम्बर–17/1 में 0.190 हैक्टेयर रास्ता, किला नं. 18/1 में 0.2515 है., किला नम्बर–18/2 मे 0.0015 है. रास्ता गैर मुमकिन दर्ज करने का आदेश दिया गया बमुराद मनसुख है।

उपस्थित :

1. ओमप्रकाश बत्तरा, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
2. राजकीय अभिभाषक, रेस्पो0 स्टेट की ओर से

:: आदेश:: दिनांक : 06.01.2026

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट के पास चक 19 एसपीएम पत्थर नंबर–20/203 मुरब्बा नंबर–11, किला नंबर–2 व 3 सालम, किला नंबर–6/1 में 0.228 है., किला नंबर 6/2 में 0.025 है., किला नंबर–7 ता 14 सालम, किला नंबर–15/1 में 0.228 है., किला नंबर 15/2 में 0.025 है., किला नंबर 16/1 में 0.228 है. किला नंबर–16/2 में 0.025 है., किला नंबर–17 व 18 सालम अपीलांट के नाम दर्ज है तथा गौरीशंकर पुत्र श्री कृष्ण लाल द्वारा एक प्रार्थना पत्र उपखंड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया जिस पर उपखंड अधिकारी द्वारा दिनांक 22.09.2023 को बिना किसी आधार पर अपीलांट की भूमि पर रास्ता स्वीकार कर लिया जिसके खिलाफ अपीलांट राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील पेश की,जो विचाराधीन है। इसी बीच में अपीलांट को बिना सुने ही अपीलांट का रकबा गैर मुमकिन दर्ज कर दिया गया जो गैर कानूनी है जिसके खिलाफ अपीलांट इस न्यायालय में अपील पेश कर रहा है जो निम्नलिखित बिंदुओं पर पेश है।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

1. यह कि हुक्म अदालत मातहत का गैर कानूनी है व दौबारा गौर मिसल के है।
2. यह कि उपखंड अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार पर किला नंबर–16, 17, 18 में रकबा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया जिसके खिलाफ अपीलांट ने राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जो विचाराधीन है। जब तक अपील विचाराधीन है तब तक रकबा गैर मुमकिन नहीं किया जा सकता। यह तथ्य भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर ना करके कानूनी भूल की है, इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खारिज करने योग्य है।
3. यह कि रकबा गैर मुमकिन करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना ही अपीलांट को सुना गया। बिना सुने ही अपीलांट का रकबा गैर मुमकिन करके कानूनी भूल की है। इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।
4. यह कि अन्य वजूवाद बरवक्त पेश किये जावेंगे।
5. यह कि अपील अंदर मियाद है।
6. यह कि अपील जनाबवाला के क्षेत्राधिकार में है।

लिहाजा अपील पेश कर अर्ज है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 04/10/2023 निरस्त किया जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय से तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट के पास चक 19 एसपीएम पत्थर नंबर–20/203 मुरब्बा नंबर–11, किला नंबर–2 व 3 सालम, किला नंबर–6/1 में 0.228 है.,किला नंबर 6/2 में 0.025 है., किला नंबर–7 ता 14 सालम, किला नंबर–15/1 में 0.228 है., किला नंबर 15/2 में 0.025 है., किला नंबर 16/1 में 0.228 है. किला नंबर–16/2 में 0.025 है., किला नंबर–17 व 18 सालम अपीलांट के नाम दर्ज है। उपखंड अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार पर किला नंबर–16, 17, 18 में रकबा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया जिसके खिलाफ अपीलांट ने राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जो विचाराधीन है। नायब तहसीलदार सादुलशहर द्वारा अपील विचाराधीन होते हुए भी अपीलांट को बिना सुने ही अपीलांट का रकबा गैर मुमकिन दर्ज कर दिया गया जो गैर कानूनी है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 04.10.2023 जिसकी पालना में इन्तकाल स्वीकृत किया गया है को खारिज फरमाया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सादुलशहर द्वारा

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के आदेश दिनांक 22.09.2023 की पालना में नामांतरण संख्या 636 दिनांक 04.10.2023 स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सादुलशहर के द्वारा स्वयं कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, बल्कि उपखंड अधिकारी, सादुलशहर के आदेश की पालना में इन्तकाल स्वीकृत किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 04.10.2023 को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सादुलशहर द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायलय नायब तहसीलदार, सादुलशहर द्वारा उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के प्रकरण सं0 134/2022 में पारित आदेश दिनांक 22.09.2023 की पालना में विवादित इंतकाल संख्या 636 दिनांक 03.10.2023 स्वीकृत दिनांक 04.10.2023 दर्ज किया गया है। उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में दर्ज किये गये नामान्तरकरण की अपील अपीलेबल नहीं है। हस्तगत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी सादूलशहर के प्रकरण सं0 134/2022 निर्णय दिनांक 22.09.2023 की पालना में उक्त विवादित इंतकाल स्वीकृत किया गया है। इसलिए अपील मेन्टेबल नहीं होने के कारण अपील कानूनी बिन्दु पर ही काबिले खारिजी है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार सादुलशहर द्वारा उपखण्ड अधिकारी सादूलशहर के प्रकरण सं0 134/2022 में पारित आदेश दिनांक 22.09.2023 की पालना में भरे गये नामांतरण संख्या 636 दिनांक 04.10.2023 को बहाल रखा जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति नायब तहसीलदार सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे एंव रिकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 06.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) न्यायालय ... श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner